



JOURNAL OF THE ROYAL LAUREATES ACADEMY

www.rlaindia.org

गरीबी उन्मूलन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका का अध्ययन

रुचिका पाराशर

शोधार्थी, अर्थशास्त्र अध्ययन शाला एवं शोध केंद्र, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

डॉ. विभा वासुदेव

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (शोध निर्देशक), अर्थशास्त्र अध्ययन शाला एवं शोध केंद्र, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

गरीबी भारत सहित विकासशील देशों की प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं में से एक है। गरीबी केवल आय की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं तक सीमित पहुँच को भी दर्शाती है। इस संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS) सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य गरीब एवं कमजोर वर्गों को आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस अध्ययन में गरीबी उन्मूलन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका का अध्ययन किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार गेहूँ, चावल, चीनी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती है, जिससे गरीब परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद इस प्रणाली का विस्तार हुआ और अधिक संख्या में जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त हुआ। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने, भुखमरी को कम करने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुख्यशब्द-सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा, गरीब वर्ग, ग्रामीण विकास, आर्थिक असमानता, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ।

प्रस्तावना

गरीबी विश्व के अधिकांश विकासशील देशों के सामने उपस्थित एक गंभीर सामाजिक एवं आर्थिक चुनौती है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक असमानता, खाद्य असुरक्षा, बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने गरीबी को कम करने और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अनेक योजनाएँ और नीतियाँ प्रारंभ कीं। इन नीतियों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS) का विशेष महत्व है, क्योंकि यह सीधे तौर पर गरीब परिवारों की मूलभूत आवश्यकता अर्थात् भोजन की उपलब्धता से संबंधित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके माध्यम से आवश्यक खाद्यान्नों को सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों तक पहुँचाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना तथा बाजार मूल्य में वृद्धि के प्रभाव से कमजोर वर्गों की रक्षा करना है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसे एक व्यापक कल्याणकारी व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया।

गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरीब परिवार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं। जब खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि होती है, तो सबसे अधिक प्रभाव निम्न आय वर्ग के परिवारों पर पड़ता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इन परिवारों को कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक दबाव को कम करती है। इससे गरीब परिवार अपनी सीमित आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं पर कर सकते हैं।

भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न सुधार किए हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System-TPDS) की शुरुआत वर्ष 1997 में की गई, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को विशेष लाभ प्रदान किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act-NFSA), 2013 लागू किया गया, जिसका उद्देश्य देश की बड़ी आबादी को कानूनी रूप से खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने में विशेष योगदान दिया है। ग्रामीण गरीबों, भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों और कमजोर सामाजिक वर्गों के लिए यह प्रणाली जीवन-निर्वाह का

महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है। खाद्यान्न की नियमित उपलब्धता से कुपोषण और भुखमरी जैसी समस्याओं को कम करने में सहायता मिली है। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाने में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखा गया है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का कार्य करती है। यह समाज के कमजोर वर्गों को न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। आर्थिक असमानता को कम करने और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराकर सामाजिक सुरक्षा तंत्र के रूप में अपनी उपयोगिता सिद्ध की। हालाँकि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी हैं। कई क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण में भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, फर्जी राशन कार्ड, पात्र लाभार्थियों की पहचान में कठिनाई और वितरण प्रणाली की अक्षमता जैसी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। कई बार वास्तविक गरीब परिवार योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, जबकि कुछ अपात्र लोग इसका लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों तक पहुँच भी एक चुनौती बनी हुई है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने डिजिटल तकनीक का उपयोग प्रारंभ किया है। राशन कार्डों का डिजिटलीकरण, आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-पॉस मशीनों का प्रयोग और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली जैसे प्रयासों से पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। "वन नेशन वन राशन कार्ड" जैसी पहल ने प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य लाभार्थियों को देश के किसी भी भाग से राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है।

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास एक सामान्य राशन व्यवस्था से अधिकार आधारित खाद्य सुरक्षा प्रणाली तक की महत्वपूर्ण यात्रा को दर्शाता है। राशन प्रणाली, TPDS और NFSA जैसे चरणों ने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

1. राशन प्रणाली का प्रारंभ

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS) का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के समय से प्रारंभ होता है। वर्ष 1940 के दशक में युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण खाद्यान्नों की कमी उत्पन्न हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रित वितरण की व्यवस्था प्रारंभ की। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना और खाद्यान्नों की

कीमतों को नियंत्रित करना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण नीति क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया और राशन प्रणाली को व्यापक रूप प्रदान किया।

1950 और 1960 के दशक में देश में खाद्यान्न उत्पादन की कमी और बढ़ती जनसंख्या के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्व और अधिक बढ़ गया। सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price Shops) के माध्यम से गेहूँ, चावल, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रारंभ किया। इस व्यवस्था का उद्देश्य गरीब एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना था।

1960 के दशक में हरित क्रांति के प्रारंभ के बाद खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत आधार मिला। भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India-FCI) की स्थापना वर्ष 1965 में की गई, जिसका उद्देश्य खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाना था। इसके माध्यम से सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध कराना प्रारंभ किया।

प्रारंभिक चरण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्वभौमिक व्यवस्था थी, जिसमें सभी नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता था। हालांकि, समय के साथ यह महसूस किया गया कि सीमित संसाधनों के कारण गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसी विचार के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किए गए।

2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)

गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System-TPDS) की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों को विशेष रूप से गरीब परिवारों तक पहुँचाना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लाभार्थियों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया—

1. गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line-BPL) परिवार
2. गरीबी रेखा से ऊपर (Above Poverty Line-APL) परिवार

BPL परिवारों को अधिक मात्रा में और कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, जबकि APL परिवारों को अपेक्षाकृत कम सब्सिडी प्रदान की गई। इस प्रणाली का उद्देश्य सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और वास्तविक गरीब परिवारों तक सहायता पहुँचाना था।

TPDS ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबों, भूमिहीन

मजदूरों, छोटे किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन परिवारों के लिए सहायक रही जिनकी आय अनिश्चित थी और जो बाजार मूल्य पर खाद्यान्न खरीदने में सक्षम नहीं थे।

हालाँकि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में कुछ समस्याएँ भी सामने आईं। कई राज्यों में गरीब परिवारों की सही पहचान करना कठिन रहा, जिसके कारण कुछ पात्र परिवार लाभ से वंचित रह गए और कुछ अपात्र परिवारों को लाभ प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, राशन वितरण में भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और अनियमितताओं जैसी समस्याएँ भी देखी गईं। इन चुनौतियों के बावजूद TPDS ने भारत में खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को मजबूत आधार प्रदान किया। इसने सरकार को गरीबों के लिए अधिक केंद्रित और प्रभावी खाद्य सुरक्षा नीति बनाने की दिशा में मार्गदर्शन दिया।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013

भारत में खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act–NFSA), 2013 लागू किया गया। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम था। इस अधिनियम का उद्देश्य देश की बड़ी आबादी को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 75 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों की लगभग 50 प्रतिशत आबादी को खाद्य सुरक्षा का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को अत्यंत कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित मात्रा में चावल, गेहूँ और मोटा अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

NFSA ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कल्याणकारी योजना से आगे बढ़ाकर अधिकार आधारित व्यवस्था में परिवर्तित किया। इसके माध्यम से गरीब परिवारों को भोजन प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिला। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के पोषण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी सहायता का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई सुधार किए गए। राशन कार्डों का डिजिटलीकरण, आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई-पॉस मशीनों का उपयोग और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकी पहलों ने वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता की है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजनाने प्रवासी श्रमिकों और अन्य लाभार्थियों को देश के किसी भी हिस्से में राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है।

हालाँकि, NFSA के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अभी भी कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं, जैसे लाभार्थियों की सही पहचान, वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना और दूरदराज क्षेत्रों तक खाद्यान्न पहुँचाना। इन समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर सुधार और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है।

गरीबी उन्मूलन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका

सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी उन्मूलन के लिए एक प्रभावी सामाजिक कल्याण तंत्र है। यह न केवल गरीब परिवारों को भोजन उपलब्ध कराती है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक समानता और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर भी प्रदान करती है। बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों के माध्यम से इसकी प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

1. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS) का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देश के गरीब एवं कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। गरीबी के कारण अनेक परिवार पर्याप्त मात्रा में भोजन खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं, जिससे भूख और कुपोषण जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार उचित मूल्य की दुकानों द्वारा गरीब परिवारों को कम कीमत पर गेहूँ, चावल, मोटा अनाज एवं अन्य आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के लागू होने के बाद खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार आधारित व्यवस्था का स्वरूप प्राप्त हुआ। इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इससे गरीब परिवारों को नियमित रूप से भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है और वे बाजार में खाद्यान्नों की बढ़ती कीमतों के प्रभाव से सुरक्षित रहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए जीवन-निर्वाह का महत्वपूर्ण आधार बन गई है। इस प्रकार यह प्रणाली गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में खाद्य सुरक्षा के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देती है।

2. गरीब परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करना

गरीब परिवारों की आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च हो जाता है। खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि होने पर निम्न आय वर्ग के परिवारों पर आर्थिक दबाव और अधिक बढ़ जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब परिवारों को कम कीमत पर आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध

कराकर उनके आर्थिक बोझ को कम करने में सहायता करती है। रियायती दरों पर मिलने वाले खाद्यान्नों के कारण गरीब परिवार अपनी सीमित आय का उपयोग अन्य आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार संबंधी गतिविधियों पर कर सकते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायता करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अधिकांश लोग कृषि मजदूरी और अनियमित आय पर निर्भर रहते हैं, वहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आर्थिक असुरक्षा को कम करने का महत्वपूर्ण साधन है। यह व्यवस्था गरीब परिवारों को खाद्य व्यय में राहत प्रदान करके उन्हें गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलने में सहायता करती है।

3. कुपोषण एवं भुखमरी को कम करने में भूमिका

कुपोषण और भुखमरी गरीबी से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ हैं। पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की अनुपलब्धता के कारण गरीब परिवारों के बच्चे, महिलाएँ और वृद्ध लोग अधिक प्रभावित होते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराकर भोजन की कमी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न गरीब परिवारों के न्यूनतम पोषण स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। विशेष रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी योजनाओं को भी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने देश में भुखमरी की समस्या को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कम से कम भोजन की उपलब्धता बनी रहे। इस प्रकार यह कुपोषण को कम करने और स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक है।

4. सामाजिक सुरक्षा एवं समानता को बढ़ावा देना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल खाद्यान्न वितरण की योजना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराकर यह सामाजिक असमानताओं को कम करने में योगदान देती है। इस प्रणाली के माध्यम से सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ग्रामीण गरीबों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित समूहों को सहायता प्रदान करती है। इससे समाज में समान अवसर और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली महिलाओं

के सशक्तिकरण में भी योगदान देती है, क्योंकि कई राज्यों में राशन कार्ड परिवार की महिला मुखिया के नाम पर जारी किए जाते हैं। इससे परिवार में महिलाओं की निर्णय लेने की भूमिका मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त, आपदा, महामारी या आर्थिक संकट के समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। कोविड-19 महामारी के दौरान गरीब एवं प्रवासी परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में इस प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

ग्रामीण गरीबी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रामीण गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह न केवल ग्रामीण गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, बल्कि उनके आर्थिक बोझ को कम करके, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके और जीवन स्तर में सुधार लाकर ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को मजबूत करती है। बेहतर क्रियान्वयन, पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी के माध्यम से इसकी भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

1. ग्रामीण गरीबों को खाद्यान्न उपलब्धता

भारत की अधिकांश गरीब आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ लोगों की आजीविका मुख्य रूप से कृषि, कृषि मजदूरी और असंगठित क्षेत्र के कार्यों पर निर्भर होती है। अनियमित आय, बेरोजगारी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करना कठिन हो जाता है। इस स्थिति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS) ग्रामीण गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गरीब परिवारों को कम कीमत पर गेहूँ, चावल, मोटा अनाज और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इससे गरीब परिवारों को नियमित रूप से खाद्यान्न प्राप्त होता है और उन्हें बाजार में बढ़ती कीमतों का सामना कम करना पड़ता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त हुआ है। यह प्रणाली विशेष रूप से उन परिवारों के लिए सहायक है जिनके पास स्थायी आय के साधन नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने भूख और खाद्य असुरक्षा को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

2. कमजोर वर्गों एवं भूमिहीन परिवारों पर प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूर, छोटे किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग गरीबी से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इन वर्गों के पास सीमित आर्थिक संसाधन होते हैं और कई बार उनकी आय जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इन वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करके सामाजिक एवं आर्थिक संरक्षण प्रदान करती है। भूमिहीन परिवारों के लिए, जिनके पास कृषि उत्पादन का अपना साधन नहीं होता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जीवन-निर्वाह का महत्वपूर्ण आधार है। कम कीमत पर उपलब्ध खाद्यान्नों के कारण इन परिवारों को भोजन पर कम खर्च करना पड़ता है, जिससे वे अपनी आय का उपयोग अन्य आवश्यकताओं जैसे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ग्रामीण गरीबों में आर्थिक असमानता को कम करने में भी सहायता करती है। यह समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान करने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का कार्य करती है। महिलाओं और बच्चों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध होने से परिवार के पोषण स्तर में सुधार होता है।

3. ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभाव केवल खाद्यान्न उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध होता है, तो उनके भोजन संबंधी खर्च में कमी आती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। खाद्य सुरक्षा मिलने से ग्रामीण परिवारों को गरीबी के दबाव से कुछ राहत मिलती है। वे अपनी आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य विकासात्मक गतिविधियों में कर सकते हैं। इससे मानव विकास के विभिन्न संकेतकों में सुधार होता है और ग्रामीण समाज के समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में भुखमरी और कुपोषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नियमित खाद्यान्न उपलब्धता से बच्चों, महिलाओं और वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रणाली आर्थिक संकट या प्राकृतिक आपदाओं के समय ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करती है। डिजिटल तकनीक, राशन कार्ड के डिजिटलीकरण और "वन नेशन वन राशन कार्ड" जैसी पहलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में सहायता की है। इससे प्रवासी मजदूरों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में सुविधा हुई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीकी सुधार

तकनीकी विकास ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS) को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, फर्जी राशन कार्ड, खाद्यान्न की चोरी और लाभार्थियों की पहचान जैसी अनेक समस्याएँ थीं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने सूचना एवं डिजिटल तकनीक का उपयोग प्रारंभ किया। तकनीकी सुधारों के माध्यम से वास्तविक लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुँचाने और वितरण व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाने का प्रयास किया गया है।

1. राशन कार्ड का डिजिटलीकरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी सुधारों में से एक राशन कार्ड का डिजिटलीकरण है। पहले राशन कार्ड कागजी रूप में होते थे, जिनमें रिकॉर्ड की सुरक्षा और सत्यापन की समस्या रहती थी। कई बार फर्जी राशन कार्ड बनाए जाते थे, जिसके कारण वास्तविक गरीब परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते थे। राशन कार्डों के डिजिटलीकरण से लाभार्थियों का पूरा विवरण ऑनलाइन उपलब्ध हो गया है। इससे सरकार को पात्र परिवारों की पहचान करने, रिकॉर्ड को अपडेट रखने और खाद्यान्न वितरण की निगरानी करने में सहायता मिलती है। डिजिटल राशन कार्ड प्रणाली ने पारदर्शिता बढ़ाई है और फर्जी लाभार्थियों को हटाने में सहायता की है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन डेटाबेस के माध्यम से राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान आसान हुआ है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में तेजी और प्रभावशीलता आई है।

2. आधार आधारित प्रमाणीकरण

आधार आधारित प्रमाणीकरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस व्यवस्था के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान आधार संख्या के माध्यम से सत्यापित की जाती है। इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि खाद्यान्न केवल वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक ही पहुँचे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से फर्जी राशन कार्ड और एक ही व्यक्ति द्वारा कई स्थानों से राशन प्राप्त करने जैसी समस्याओं को कम करने में सहायता मिली है। इससे सरकारी सब्सिडी का सही उपयोग सुनिश्चित होता है और सार्वजनिक धन की बचत होती है। हालाँकि, आधार आधारित प्रमाणीकरण में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या, तकनीकी खराबी और कुछ लाभार्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन में कठिनाई। इसलिए यह आवश्यक है कि तकनीकी सुविधाओं के साथ

वैकल्पिक व्यवस्थाएँ भी उपलब्ध कराई जाएँ ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित न हो।

3. ई-पॉस मशीन एवं ऑनलाइन निगरानी प्रणाली

ई-पॉस (Electronic Point of Sale) मशीनों का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। उचित मूल्य की दुकानों पर स्थापित ई-पॉस मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों का डिजिटल सत्यापन किया जाता है और खाद्यान्न वितरण का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार होता है। ई-पॉस मशीनों के उपयोग से राशन दुकानदारों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली है। अब खाद्यान्न वितरण की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है, जिससे सरकार वितरण प्रक्रिया की निगरानी कर सकती है। ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाती है। इससे खाद्यान्न की चोरी, कालाबाजारी और अनियमित वितरण को कम करने में सहायता मिलती है। यह प्रणाली प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किया गया एक महत्वपूर्ण तकनीकी और प्रशासनिक सुधार है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी देश के किसी भी भाग में स्थित उचित मूल्य की दुकान से अपना निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जो रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। पहले प्रवासी श्रमिकों को अपने मूल स्थान के अलावा अन्य क्षेत्रों में राशन प्राप्त करने में कठिनाई होती थी, लेकिन इस योजना ने इस समस्या को काफी हद तक कम किया है। इससे खाद्य सुरक्षा का दायरा बढ़ा है और गरीब नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता एवं सुविधा प्राप्त हुई है।

निष्कर्ष

सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस प्रणाली ने गरीब एवं कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराकर उनके जीवन में स्थिरता प्रदान की है। यह न केवल भूख और कुपोषण को कम करने में सहायक रही है, बल्कि गरीब परिवारों की आर्थिक कठिनाइयों को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और डिजिटल सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक व्यापक और पारदर्शी बनाया गया है। हालाँकि, भ्रष्टाचार, वितरण में अनियमितता, लाभार्थियों की सही पहचान और प्रशासनिक कमियों जैसी समस्याएँ अभी भी इसके प्रभाव को सीमित करती हैं। इसलिए आवश्यक है कि निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाए, तकनीकी साधनों का अधिक उपयोग किया जाए और वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाया जाए। अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी उन्मूलन की एक प्रभावी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है। यह गरीबों को केवल खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आधार प्रदान करती है। उचित सुधारों और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से यह प्रणाली भारत को खाद्य सुरक्षा और गरीबी मुक्त समाज की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. वेलमुरुगन, आर. एवं लावण्या, डी. (2017). कोयंबटूर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्याएँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स, 116(1), 17-26।
2. वेलमुरुगन, आर., एवं लावण्या, डी. (2017). कोयंबटूर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समस्याएँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स (शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त गणित की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका), 116(1), 17-26.
3. सावंत, बी. एस. एवं जाधव, आर. जे. (2013). आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक सामाजिक सुरक्षा के रूप में: सतारा जिला (महाराष्ट्र) का अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिज़नेस स्टडीज़, 3(1), 31-33।
4. सासी, ए., एवं सुब्रमणियन, टी. (2022). उचित मूल्य दुकानों में चावल बिक्री के पूर्वानुमान हेतु ARIMA और डबल एक्सपोज़ेनशियल स्मूदिंग का तुलनात्मक विश्लेषण। जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स (सांख्यिकी एवं प्रबंधन प्रणाली पत्रिका), 25(7), 1601-1619.
5. साहा, आई., एवं अन्य (2021). चावल की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। पीएलओएस वन (PLOS ONE), 16(12), e0261118.
6. सिंह, जोगिंदर एवं गोयल, वीण गोयल (2001). भारत की खाद्य सुरक्षा का प्रश्न: बदलती वैश्विक आर्थिक प्रणाली। द ट्रिब्यून (समाचारपत्र), 21 मई 2001, पृ. 10.

7. सोन, डी. के., एवं थांग, टी. सी. (2003). वियतनाम में चावल विपणन में राज्य उद्यमों की भूमिका. कृषि-व्यवसाय कार्यशाला कार्यवृत्त.
8. स्वामीनाथन, एम. (2000). कल्याण की कमजोरी: भारत में खाद्य का सार्वजनिक वितरण। नई दिल्ली: लेफ्टवर्ड बुक्स।
9. स्वामीनाथन, एम., एवं मिश्रा, एन. (2001). लक्ष्य निर्धारण की त्रुटियाँ. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 36(26), 2447–2454.
10. हनुमंथा राव, के. (2000). ग्रामीण गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा: कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 19(3), 453–470।
11. हिमांशु एवं सेन, अभिजीत (2011). सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा कानून क्यों नहीं? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 46(12), 38–47।
12. हिमांशु एवं सेन, अभिजीत (2013). वस्तु के रूप में खाद्य अंतरण: पोषण पर प्रभाव और खाद्य सुरक्षा के निहितार्थ। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 48(47), 46–54।